न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 202 / 2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. अवतार सिह 2. बसन्त सिह	पि. धन सिह	जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 धन सिह पुत्र शेर सिह जाति जटसिख सा. बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 सुखप्रीत कौर पुत्री धन सिह जाति जटसिख सा. बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 प्रणीत कौर पुत्री धन सिह जाति जटसिख सा. बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1— श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादीगण
2— श्री गुरमीत सिह कलसी — वकील प्रति सं. 1 ता 3
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया— राज—पैरोकार प्रति.संख्या 4

निर्णय दिनांक :—

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण व प्रति स. 1 ता 3 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है। वादीगण के पिता प्रति स. 1 धन सिह पुत्र शेर सिह के नाम चक 5 एन.टी.डब्लयु खाता स. 43/30 खाता धन सिह ज.स. 2071—74 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खाता की जमाबन्दी संलग्न है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 धन सिह पुत्र शेर सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके वारिसान वादीगण तथा प्रति स. 2 व 3 की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण व प्रति स. 2 व 3 का उनके पिता प्रति स. 1 के साथ जन्म से ही ब.हि.ब. का विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। किन्तु प्रति स. 1 ता 3 ने अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग वादीगण के पक्ष में ब.हि.ब. कर दिया है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं है। उक्त आराजी के वादीगण ही ब.हि.ब. के हिसाब के हकदार है। उक्त आराजी में प्रति स. 1 ता 3 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

घोषणात्मक डिक्री वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि आप दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण को दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्ताकर होना मान लो व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे हमारे नाम से अंकन अलग कायम करवा देवें तो इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे किन्तु अन्त मे पिछले सप्ताह प्रतिवादीगण वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इन्कार हो गए बस यही वादकारण हैं।

लिहाजा वाद वादी पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात वाद वादी निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे कि चक 5 एन.टी.डब्लयु खाता स. 43/30 खाता धन सिह ज.स. 2071–74 आराजी मे प्रति स. 1 धन सिह पुत्र शेर सिह के नाम दर्ज आराजी समस्त आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः राजस्व रिकार्ड के उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जाकर उक्त आराजी वादीगण के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा के साथ आईडी की चित्रप्रति स्वहस्ताक्षरित पेश कि है। प्रतिवादी संख्या 4 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 अवतार सिह ने अपना शपत्र पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादी ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये। वकील वादीगण ने चक 5 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 43/30 खाता धन सिह जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 जमाबन्दी प्रदर्श–1 एवं इसी चक के खाता संख्या 11/13 खाता कुलदीप वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2059–62 की जमाबन्दी प्रदर्श–2 करवाई है।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने चक 5 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 43/30 खाता धन सिह में जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है एवं वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 धनसिह के पुत्र है तथा [illegible] संख्या 2 सुखप्रीत कौर व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संख्या 3 प्रणीतकौर के भाई है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार चक 5 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 43/30 खाता धन सिह जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में प्रतिवादी संख्या 1 धनसिह के नाम दर्ज है जो प्रदर्श 1 से साबित है। प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता अपना सहमति का जवाबदावा पेश किया हुआ है जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादीगण साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी उक्त विवेचन के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है किः– प्रतिवादी संख्या 1 धन सिह पुत्र शेर सिह के नाम चक 5 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 43/30 खाता धनसिह ज.स. 2071–2074 में दर्ज समस्त आराजी का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 धनसिह का नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 202/2023

1. अवतार सिह 2. बसन्त सिह	पि. धन सिह	जाति जटसिख सा. बोलांवाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 धन सिह पुत्र शेर सिह जाति जटसिख सा. बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2 सुखप्रीत कौर पुत्री धन सिह जाति जटसिख सा. बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
3 प्रणीत कौर पुत्री धन सिह जाति जटसिख सा. बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
4 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री गुरमीत सिह सिद्धू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– प्रतिवादी संख्या 1 धन सिह पुत्र शेर सिह के नाम चक 5 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 43/30 खाता धनसिह ज.स. 2071–2074 में दर्ज समस्त आराजी का वादीगण को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 धनसिह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.03.14 17:03:56 IST
Reason: SelfAttested